न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 486/2023

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

जगदीप सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. सुखदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. [illegible] कौर पत्नी श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

वादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 07-03-2024

वादी जगदीप सिंह ने प्रतिवादीगण सुखदेव सिंह वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता एवं प्रतिवादी सं. 2 वादी की माता है जो कि एक ही परिवार के सदस्य है। वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 133/115 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 2.530 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय को अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 [illegible] विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारो [illegible] जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य [illegible] दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 2 ने वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में [illegible]

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.04.02 17:26:09 IS
Reason: SelfAttested

बंटवारा में अपनी सहमति प्रदान कर दी है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैः-

(क) वादी **जगदीप सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-**

तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 133/115 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.265 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी **सं. 1 सुखदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-**

तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 133/115 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.265 है. कृषि भूमि

यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 टाल मटोल करता रहा आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गया। बस यही वाद कारण है।

उप खण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा सहमति का जवाब दावा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 3 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 133/115 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य. प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने [illegible] किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त परिवार के सदस्य [illegible] आपस में कोई विरोध नही है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा [illegible] प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ने राजीनामा अनुसार तथा प्रतिवादी सं.

लगातार ---3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.02 17:26:09
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

2 द्वारा सहमति के जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 133/115 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 2.530 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 2 द्वारा सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि:-

(क) वादी जगदीप सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 133/115 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.265 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 सुखदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 133/115 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.265 है. कृषि भूमि

मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 133/115 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 2.530 है. कृषि भूमि में से वादी को 1.265 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। [illegible] डिक्री जारी [illegible] पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील [illegible]म्बर कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01-03-2024 को मेरे [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.04.02 17:26:09 IS
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 486/2023

जगदीप सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

सुखदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

देवेन्द्र कौर पत्नी श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 02-03-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री महावीर बेरड़** वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है किः-

वादी जगदीप सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 133/115 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.265 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 1 सुखदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 133/115 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.265 है. कृषि भूमि

मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 133/115 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 2.530 है. कृषि भूमि में से वादी को 1.265 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X.... निल ....X.... मुब्लिक ....X.... निल ....X.... बाबत् ....

निल....X.... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज तारीख

वसूलयाबी तक ....X....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 02-03-2024 को जारी किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.02 17:26:09
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया